सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 1/2018

1. रामबिलास
2. रामप्रताप

पुत्रान किशना जाति मीना निवासीगण महलपुर तह0 मांगरोल जिला बारां

.....वादीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री हरिओम प्रजापति, श्री श्याम पारेता

दायरा दिनांकः 06.02.2018

निर्णय दिनांक : 14.05.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम महलपुर में स्थित खाता संख्या 98 के खसरा नं0 190 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 210 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 212 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 213 रकबा 0.27 है0 कुल किता 4 रकबा 1.90 है0 आराजी प्रार्थीगण के वर्तमान खाते दर्ज है जिसके साबिक खसरा नं0 90 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा खसरा नं0 97 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 167 रकबा 5 बीघा खसरा नं0 168 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा थें बाद सेटलमेंट कुल रकबा 1.90 है0 व खसरा नं0 229 रकबा 0.51 है0 कुल रकबा 2.41 है0 दर्ज किया गया। जो गत रकबे के 15 बीघा 9 बिस्वा के मुकाबलें 0.08 है0 कम दर्ज किया गया है। तथा खसरा नं0 190 रकबा 0.34 है0 जिसके पुराने खसरा नं0 97 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के अनुसार 0.06 है0 की कमी दर्ज की गयी अतः ग्राम महलपुर की आराजी खसरा नं0 190 में कमी रकबा 0.06 है0 की पूर्ति की जाकर रकबा 0.34 है0 के स्थान पर नया रकबा 0.40 है0 दर्ज किया जावें। खसरा नम्बर का रकबा दुरूस्ती बाद नक्शा ट्रेस में इन्द्राज किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 06.02.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू0अ0/2018/26 दिनांक 14.05.2018 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि सेटलमेंट पूर्व किशना वल्द लक्ष्मण जाति मीना निवासी महलपुर के नाम ग्राम महलपुर में साबिक खसरा नं0 90 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 97 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 167 रकबा 5 बीघा खसरा नं0 169 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा भूमि खाते दर्ज थी। बाद सेटलमेंट भू–प्रबंधन विभाग द्वारा मुताबिक सेटलमेंट जमाबंदी सम्वत 2044 से 2063 किशना पुत्र लक्ष्मण मीणा के नाम से खसरा नम्बर 190 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 210 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 212 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 213 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 229 रकबा 0.51 है0 कुल किता 5 रकबा 2.41 है0 भूमि खाते दर्ज की गयी है वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2070–73 में खाता सं0 98 में रामबिलास, रामप्रताप पुत्र किशना मीणा के नाम से खसरा नं0 190 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 210 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 212 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 213 रकबा 0.27 है0 कुल किता 4 रकबा 1.90 है0 भूमि खाते दर्ज है। तथा खसरा नं0 229 रकबा 0.51 है0 जोधराज पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा के नाम खाते दर्ज हैं। भू–प्रबंधन विभाग द्वारा किशना पुत्र लक्ष्मण मीणा के खाते में दर्ज किता 4 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा की तुलना में बादसेटलमेंट किता 5 रकबा 2.41 है0 दर्ज किया गया है। गत रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा की तुलना में हाल रकबा 2.47 है0 दर्ज किया जाना चाहिए था जबकि भू–प्रबंधन विभाग द्वारा खाते का कुल रकबा 2.41 है0 दर्ज किया गया है। गत की तुलना में रकबा खाते में 0.06 है0 कम दर्ज किया गया है। रामबिलास, रामप्रताप पुत्र किशना के खाते में दर्ज खसरा नं0 190 रकबा 0.34 है0 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 97 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा से बनाया गया है। खसरा नं0 190 का रकबा गत रकबे की तुलना में 0.40 है0 दर्ज किया जाना चाहिए था जबकि 0.06 है0 कम दर्ज किया गया है। खसरा नं0 190 के समीपवर्ती व आस पास के खसरा नम्बरान के रकबे की तुलना गत रकबे से की गयी जांच करने पर खसरा नम्बर 190 के समीपवर्ती किसी भी खसरा नम्बर का रकबा बढा हुआ नही पाया गया है ऐसी स्थिति में कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने ग्राम महलपुर की आराजी खसरा नं0 190 में कमी रकबा 0.06 है0 की पूर्ति की जाकर रकबा 0.34 है0 के स्थान पर नया रकबा 0.40 है0 दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की वादी की आराजी खसरा नं0 190 का रकबा गत रकबे की तुलना में 0.40 है0 दर्ज किया जाना चाहिए था जबकि

खसरा नं0 190 के समीपवर्ती व आस पास के खसरा नम्बरान के रकबे की तुलना गत रकबे से की गयी जांच करने पर खसरा नम्बर 190 के समीपवर्ती किसी भी खसरा नम्बर का रकबा बढा हुआ नही पाया गया है और ना ही प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नम्बर से की जानी है अतः ऐसी सूरत में कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प महलपुर मजमेंआम में सुनाया गया।